न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेशकुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 29/2023

1. दमयंतीकंवर पत्नि सोनसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू
2. अशोकसिंह पुत्र सोनसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू
3. कंचनकंवर पुत्री सोनसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू
4. सरोजकंवर पुत्री सोनसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1. भंवरकंवर पत्नि तख्तसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू
2. उम्मेदसिंह पुत्र तख्तसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू
3. भागीरथसिंह पुत्र तख्तसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू
4. शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लालगढ जिला चूरू
5. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
6. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निशेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीगण
2. श्री जगदीश प्रजापत एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

–: निर्णय :–

दिनांक:–27.07.2023

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 459/352 चार सौ उनसठ बट्टा तीन सौ बावन तादादी 1.8464 एक दशमलव आठ चार छः चार हेक्टेयर, खसरा संख्या 465/242 चार सौ पेंसठ बट्टा दौ सौ बियालीस तादादी 7.4867 सात दशमलव चार आठ छः सात हेक्टेयर, खसरा संख्या 470/290 चार सौ सतर बट्टा दौ सौ नब्बे तादादी 5.7415 पांच दशमलव सात चार एक पांच हेक्टेयर कुल किता 3 तीन कुल रकबा 15.0746 पन्द्रह दशमलव जीरो सात चार छः हेक्टेयर वाके रोही ग्राम नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादीगण की 4/15 चार बट्टा पन्द्रह हिस्सा भूमि है। वादगत भूमि का मौके पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन का खान–पान, रहन–सहन अलग–अलग है। वादगत खेतों की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

अंकित होने के कारण वादीगण को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादीगण को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादीगण ने दिनांक 10.07.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेतों का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन ने वादीगण को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादीगण को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निशेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन को वर्जित कराये कि वोह वादीगण को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादीगण को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन की ऐलानियां धमकियां से वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 6 छः के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादीगण संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निशेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीगण निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की तरफ से राजीनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। दावा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से राजीनामा पेश करने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीगण ने वाद के समर्थन में वादगत भूमि की जमाबंदी संवत 2075–2078 की प्रमाणित प्रति पेश की। राजीनामा में वादीगण की पहचान श्री मनोज गोदारा एडवोकेट द्वारा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की पहचान श्री जगदीश प्रजापत एडवोकेट द्वारा की गई। राजीनामा को पक्षकारान् को पढकर सुनाया व समझाया गया तो पक्षकारान् ने राजीनामा का निष्पादन करना व सही होना स्वीकार किया तथा राजीनामा के अनुसार अपने दावा को डिक्री करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

बहस फरीकेन व वकुलान की सुनी गई। वकुलान ने भी अपनी बहस में दावा को राजीनामा के अनुसार निर्णित करने का निवेदन किया। किसी भी पक्षकार द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया। पक्षकारों के बीच हुए राजीनामा का अवलोकन किया गया। पक्षकारों के बीच हुए राजीनामा पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। पक्षकारों के बीच किया गया राजीनामा विधि के प्रावधानों के विपरीत अथवा किसी लोक निति के विपरीत नहीं है। धारा 89 सीपीसी के तहत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक न्यायालय यह प्रयास करेगा कि विवाद को उभयपक्ष की सहमति से तथा समझाईस से निर्णित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। पक्षकारों के आपस में वाद के किसी तथ्यों को लेकर कोई विवाद ना हो तथा पक्षकारों के मध्य सांमजस्य की भावना बनी रहे व वाद पत्र की प्रकृति को देखते हुए वादी का वाद राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर पक्षकारों का वाद डिक्री योग्य होने से स्वीकार कर राजीनामा अनुसार इस प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम नोडिया के खसरा संख्या 459/352 तादादी 1.8464 हेक्टेयर वादीगण के नाम से ब.हि.ब. अलग खातेदारी में तथा खसरा संख्या 465/242 तादादी 7.4867 हेक्टेयर, खसरा संख्या 470/290 तादादी 5.7415 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 13.2282 हेक्टेयर में सें 2.1735 हेक्टेयर वादीगण के नाम से ब.हि.ब. व 8.0398 हेक्टेयर प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के नाम से ब.हि.ब., 3.0149 हेक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अलग खातेदारी में दर्ज की जावे। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की भूमि बैंक के रहन की जावे। उपरोक्तानुसार पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज करने व लगान कायम करनें का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् स्वंय वहन करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)